न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 21 / 2021 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2021/1)
पंजीयन दिनांक– 04.01.2021
निर्णय दिनांक– 29.01.2021

1. श्री नाथु पिता श्री भेमजी रोत मीणा, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री जयेश पिता श्री नाथु रोत मीणा, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री भेमजी पिता श्री नाथु रोत मीणा, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्रीमती नीमा पत्नि श्री नाथु रोत मीणा, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्री सुखदेव पिता श्री नाथु रोत मीणा, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्री खुशवन्त पिता श्री नाथु रोत मीणा, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती धनु पत्नि श्री भेमजी रोत मीणा, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती जशोदा पत्नि जयेश रोत मीणा, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत पाड़ला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाड़ला हांड़लिया, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपर (राज.)
2. ग्राम विकास अधिकारी (सचिव), ग्राम पंचायत पाड़ला हांड़लिया, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपर (राज.)
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट्स

श्री दिनेश वसीटा : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2

राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/ग्रा.पं.भू.आवं./2020/1940–46 दिनांक 27.11.2020

निर्णय

दिनांक–29.01.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/ग्रा. पं. भू. आवं./2020/1940–46 दिनांक 27.11.2020 के विरूद्ध दिनांक 04.01.2021 को प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत पाड़ला हांडलिया के खसरा नम्बर 83 रकबा 7.10 बीघा (1.2135 हैक्टेयर) भूमि को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/ग्रा. पं. भू. आवं./2020/1940–46 दिनांक 27.11.2020 से राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, धर्मशालाओं, ओषधालयों एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निमार्ण हेतु राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंटन) नियम 1963/1995 के तहत 99 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टाघृती के आधार पर नवसृजित ग्राम पंचायत पाड़ला हांडलिया के पंचायत भवन एवं अन्य राजकीय भवनों के निर्माण हेतु हेतु निःशुल्क आंवटन किया गया। उपरोक्त विवादित भूमि आवंटन पर अपीलांट्स का हित निहित होकर पीडित पक्षकर होने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश वसीटा तथा रेस्पोडेंट्स संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.01.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि पूर्व में ग्राम पंचायत ठाकरड़ा में दर्ज थी एवं ग्राम पंचायत पाड़ला हांडलिया का गठन सन् 2020 में हुआ है। ग्राम पंचायत पाड़ला हांडलिया के पूर्व भूमि खसरा नम्बर 83 में आबादी पट्टा मंदिर के पास भवन निमार्ण हेतु 60 गुणा 40 फीट का दिनांक 06.12.2004 एवं इसी भूमि पर काली कल्याण धाम गातरोड़ जी मंदिर अपीलांट संख्या 1 एवं ग्राम वासियों के सहयोग से 25 गुणा 22 फीट पर बना हुआ है। विधायक मद से स्वीकृत राशि से भवन निर्माण कराया गया उक्त आबादी के पट्टे की भूमि को दिनांक 06.06.2005 को ग्राम पंचायत द्वारा मनमर्जी से संशोधित कर इसका नाम सामुदायिक भवन पाड़ला हांडलिया किया गया जबकि पूर्व में इस भवन में काली मंदिर धाम में आने वाले यात्री रूकते थे, जो मंदिर की है। अपीलांट श्री जय काली कल्याण गातरोड़ धाम भोलेनाथ मंदिर ग्राम पाड़ला हांडलिया के सेवक/महंत है तथा मंदिर की देखरेख, सेवा–पूजा करते चले आ रहे है। ग्राम के कतिपय लोगो ने मिलकर अपीलांट को मंदिर की भूमि एवं अन्य भूमि से उसके कब्जे को हटाने के लिये तत्कालीन कलक्टर को अंधेरे में रखकर नवसृजित ग्राम पंचायत पाड़ला हांडलिया के भवन एवं राजकीय भवन के के लिये प्रस्ताव तैयार करवाये गये। प्रस्ताव के क्रम संख्या 12 में कुल पशुओं की संख्या 312 बताई जाकर तत्कालीन समय में चरागाह के लिये भूमि 176–18 बीघा भूमि उपलब्ध होना अंकित किया, इन प्रस्तावों की औचित्यता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि बिलानाम भूमि को चरागाह भूमि पशुओं की संख्या को देखते हुए पूर्व में उपलब्ध थी तो पुनः बिलानाम सरकारी भूमि जिसके आंशिक भाग पर मंदिर व अपीलांट का कब्जा सन 1970 के पूर्व से चला आ रहा है। मौजा पाड़ला हांडलिया की खसरा गिरदावरी में अपीलांट एवं उसके परिवार वालों के कब्जे काश्त का अंकन हर वर्ष की खसरा गिरदावरी में मौजूद है। चरागाह में

परिवर्तित करने का कोई आधार ही नहीं रहता है, यह केवल मात्र अपीलांट का कब्जा हटाने के अतिरिक्त कोई और औचित्य नहीं था ताकि ग्राम पंचायत चरागाह की आड़ में उक्त भूमि को प्राप्त कर अपनी मनमर्जी से इच्छित व्यक्तियों को लाभ पंहुचा सकें। जमाबंदी सेटलमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान राज्य डिविजन, उदयपुर सम्वत् 2008 ग्राम पाड़ला हांडलिया, ठिकाना जागीर, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर के खाता संख्या 44 का विवरण इस प्रकार है– खसरा नम्बर 53 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 792 रकबा 157 बीघा 19 बिस्वा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त मगरी था। उक्त खसरों का पर्चा मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त 2015 ग्राम पाडला हांडलिया, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 83 रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा बना है। उक्त भूमि गैर काबिल काश्त दर्ज है एवं वर्ष 2018 तक खसरा नम्बर 83 किस्म मगरी दर्ज थी। खसरा नम्बर 83 चरागाह रकबा 150 बीघा 16 बिस्वा सम्वत् 2072 में दर्ज हुई है। सम्वत् 2015 तक खसरा नम्बर 83 रकबा 193 बीघा 5 बिस्वा बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज थी। भू–प्रबंध विभाग को बिलानाम भूमि चरागाह में दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं एवं प्रथम बार सम्वत् 2072 में भूमि खसरा नम्बर 83 चरागाह दर्ज हुई है जिसका भू–प्रबंध विभाग को अधिकार ही नहीं है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि भू–प्रबंध को पुराने इन्द्राज दोहराने होते है जिससे विचाराधीन आदेश मूलतः शून्य इन्द्राज के आधार पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा में एक नियमित वाद खातेदार काश्तकार घोषित करने इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोडेंट के विरूद्ध सन् 2020 में दायर किया जिसमें पक्षकारों के अधिकार/स्वत्व नियमित वाद में ही तय होगें, जो वर्तमान में विचाराधीन है। ग्राम के कतिपय लोग जो कि षड़यंत्र कर पूर्व में भी मंदिर की भूमि एवं अपीलांट के कब्जे में दखलअंदाजी करने का प्रयास किया गया था जिस पर तथाकथित व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलांट संख्या 1 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व. ख.) में एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का एक प्रकरण संख्या 17/2008 वाद अनवान श्री नाथु बनाम देवीलाल वगैरा किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 28.11.2011 को किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध श्री जय काली कल्याण गातरोड़ धाम भोलेनाथ मंदिर की ठाकरड़ा ग्राम पाड़ला हांडलिया की विवादित भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण करने की कोई कार्यवाही ना करे

और ना ही करावें। मंदिर की विवादित भूमि बाबत मंदिर हित में किए जाने वाले कार्यो में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को रोकने की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की गई है। तत्कालीन जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा भूमि चरागाह में बदलने एवं बिलानाम भूमि को देने के प्रस्ताव दिनांक 28.08.2020 को तैयार किये गये, इन प्रस्तावों को तैयार करने के पूर्व जिला कलक्टर द्वारा कोई जांच नही की गई तथा न ही पूर्व ग्राम पंचायत ठाकरडा का रिकार्ड ही देखा गया था जबकि इस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि भूमि खाली नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रस्ताव वैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि केवल खाली भूमि को ही बदला जा सकता है जिससे जिला कलक्टर द्वारा पारित पश्चातवर्ती आदेश ही मूलतः शून्य हो जाता है। इसके अलावा जिला कलक्टर द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व व्यक्तिगत तौर पर स्थल निरीक्षण नहीं किया गया एवं गलत रिपोर्टों के आधार पर गलत आदेश दिया गया है। विवादित भूमि/आवंटित की जाने वाली भूमि पर कल्याण गातरोड़ मंदिर व धर्मशालायें बनी हुई है, नवगठित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में निर्मित भवन जिनका नाम परिवर्तन कर नया बनाने का कथन किया जा रहा है। अतः जिला कलक्टर, डूंगरपुर का आदेश दिनांक 27.11.2020 को निरस्त कराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 की ओर अपनी बहस में बताया कि जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25.08.2020 पर राज्य सरकार की सहमति दिनांक 15.09.2020 अनुसार जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/ग्रा. पं. भू. आवं./2020/1940–46 दिनांक 27.11.2020 से राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, धर्मशालाओं, ओषधालयों एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निमार्ण हेतु राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंटन) नियम 1963/1995 के तहत 99 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टाघृती के आधार पर नवसृजित ग्राम पंचायत पाड़ला हांडलिया के पंचायत भवन एवं अन्य राजकीय भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क आंवटन किया गया है, जो सही एवं विधिपूर्वक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश को यथावत बहाल रखने एवं अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक का कथन है कि जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने अपने आदेश दिनांक 27.11.2020 से नवसृजित ग्राम पंचायत पाड़ला हांडलिया के पंचायत भवन एवं अन्य राजकीय भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क आंवटन किया गया है। उक्त आवंटन नियमानुसार किया है। अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत को आवंटित आराजी नं. 83 किस्म चारागाह में से रकबा साढ़े सात बीघा जो कि पंचायत भवन एवं अन्य राजकीय भवनों के निर्माण हेतु जिला कलक्टर द्वारा आवंटित किया गया है, उसमें आपत्ति व्यक्त की है। वर्तमान में हम सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील में उसके दफा 96 जा. दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। उक्त आवेदन में अपीलाण्ट द्वारा प्रमुखतः यह वर्णित किया गया है कि इस भूमि पर अपीलाण्ट का हित निहित है तथा इस भूमि का कब्जा व भूमि के उपयोग–उपभोग से वह वंचित हो जाएगा जबकि विवादित भूमि से ही उसका जीवनयापन होता है, यह वर्णित किया है। अपीलाण्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. के आवेदन के सन्दर्भ में अपीलाण्ट द्वारा जब वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं हो तो यह व्यक्त करना एवं सिद्ध करना वांछनीय होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वह आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है। अपीलाण्ट द्वारा अपने दफा 96 जा.दी. के आवेदन में उपरोक्तानुसार अत्यन्त संक्षिप्त विवरण एवं आमूर्त तथ्य वर्णित किये हैं, अतएवं न्यायहित में हम अपीलाण्ट द्वारा अपील में जो अपनी हितबद्धता एवं व्यथित होने के तथ्य वर्णित किये हैं, उन पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलाण्ट द्वारा सर्वप्रथम यह तथ्य वर्णित किया गया है कि विवादित भूमि पूर्व में ग्राम पंचायत ठाकरड़ा में दर्ज थी एवं ग्राम पंचायत हांडलिया का गठन सन् 2020 में हुआ है। ग्राम पंचायत के गठन के पूर्व खसरा नं. 83 में आबादी पट्टा मंदिर के पास भवन निर्माण हतु 60 गुणा 40 फीट का दिनांक 06.12.2004 एवं इसी भूमि पर काली कल्याण धाम गातरोड़ जी मंदिर अपीलाण्ट संख्या 1 व ग्रामवासियों के सहयोग से 25 गुणा 22 फीट पर बना हुआ है। विधायक मद से भवन निर्माण भी कराया गया। उक्त आबादी पट्टे की भूमि विलेख को दिनांक

06.06.2005 को ग्राम पंचायत द्वारा मनमर्जी से संशोधित कर इसका नाम सामुदायिक भवन पाड़ला हांडलिया किया गया जबकि पूर्व में इस भवन में काली मंदिर धाम में आने वाले यात्री रूकते थे अर्थात् अपीलाण्ट का यह कथन है कि विवादित आराजी नं. 83 जिसकी किस्म चारागाह है, उस पर पंचायत द्वारा उसे कोई आबादी का पट्टा दिया गया व वह पट्टा पहले मंदिर के नाम से दिया गया फिर उसे संशोधित कर सामुदायिक भवन के नाम से कर दिया गया व उस पर विधायक मद से भी कोई कार्य हुआ। अपीलाण्ट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में न तो कोई आबादी का पट्टा प्रस्तुत किया है एवं यदि पट्टा है भी तो पंचायत चारागाह की भूमि में पट्टा देने को सक्षम नहीं है। पट्टे में कोई संशोधन हुआ हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पट्टा मंदिर के लिए दिया गया हो एवं बाद में उसे सामुदायिक भवन बना दिया गया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है एवं यह सुस्पष्ट है कि चारागाह की सार्वजनिक भूमि पर किसी भी मंदिर का निर्माण विधिक अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकता, तद्नुसार अपीलाण्ट का पट्टा होने का एवं इससे संबंधित उपरोक्त समस्त तथ्य अप्रमाणित है।

अपीलाण्ट का अपील में अन्य उज्र एवं हितबद्धता यह व्यक्त की है कि वर्तमान आराजी नं. 83 के साबिक आराजी नं. 53, 792 वगैरह रहे हैं जो बिलानाम थे एवं इस भूमि पर वह काबिज रहा है जिसे बाद में चारागाह बना दिया गया। प्रत्येक ग्राम में चारागाह की आवश्यकतानुसार (पशुओं की संख्या के आधार पर) चारागाह सृजित किये जाते हैं। यदि यह भूमि पूर्व में बिलानाम भी रही है तो उसके चारागाह बनने का आदेश प्रस्तुत करने अथवा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान एवं चारागाह बनने बाबत् कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं तद्नुसार यदि भूमि चारागाह हो अथवा बिलानाम, उस पर मंदिर बनाने अथवा अधिवास करने की बिना विधिक अनुज्ञा किसी को अनुमति नहीं होती एवं अतिक्रमी का कोई **Locus Standi** नहीं होता, तद्नुसार राजकीय व चारागाह भूमि पर बिना अनुज्ञा किसी भी निर्माण से किसी भी पक्षकार को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील में अन्य तथ्य यह वर्णित किया है कि इस चारागाह भूमि के आवंटन के समय चारागाह की पर्याप्तता होने के बावजूद बिलानाम भूमि से उसकी क्षतिपूर्ति की गई है। यदि चारागाह की

कमी होने पर एवं चारागाह नोर्म्स के अनुसार होने पर भी यदि उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य भूमि से की जाती है तो इससे अपीलाण्ट की हितबद्धता नहीं बनती।

अपीलाण्ट अन्य तथ्य यह वर्णित करता है कि विवादित आराजी नं. 83 पूर्व में बिलानाम थी व भू–प्रबन्ध द्वारा इसे चारागाह दर्ज कर दिया गया। अपीलाण्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि यह भूमि भू–प्रबन्ध के दौरान चारागाह दर्ज हुई हो एवं वैसे भी भू–प्रबन्ध विभाग भू–प्रबन्ध संप्रक्रिया के दौरान राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 116 के तहत आवश्यकतानुसार नियमों के आलोक में चारागाह अदावकृत (Non-Claimed) भूमि को नियमानुसार आरक्षित करने को सक्षम है।

अपीलाण्ट द्वारा अन्य तथ्य यह वर्णित किया गया है कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा में खातेदारी, काश्तकार घोषित करने के लिए एक वाद दायर कर रखा है जो विचाराधीन है। आश्चर्यजनक रूप से अपीलाण्ट एक तरफ भूमि को मंदिर की भूमि बताता है, एक तरफ उसका बिलानाम होना वर्णित करता है एवं तीसरी तरफ स्वयं की खातेदारी घोषणा के लिए उसका घोषणात्मक वाद दायर करता है, खैर, उक्त वाद में किसी प्रकार का स्थगनादेश होने की कोई साक्ष्य नहीं होने तथा उक्त वाद दायर किया गया हो, इस बाबत् भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, अतएवं इससे भी अपीलाण्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

अपीलाण्ट ने एक अन्य आधार यह प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा सिविल न्यायालय, सागवाड़ा में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कुछ लोगों के विरूद्ध पेश किया है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा एवं डिक्री किया गया। अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् वाद–पत्र तो प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु निर्णय की प्रति पेश की है जिसमें आराजी नं. का विवरण नहीं है तथा न ही उसमें ग्राम पंचायत, जिला कलक्टर और तहसीलदार इत्यादि पक्षकार है, तद्नुसार यह स्थापित ही नहीं हो पाता कि उक्त वाद आराजी नं. 83 से संबंधित हो एवं उक्त डिक्री से रेस्पोंडेण्टगण विबंधित हो, तद्नुसार अपीलाण्ट का हितबद्धता बाबत् यह आधार भी विधिक एवं तथ्यपूर्ण नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा अंत में यह वर्णित किया गया है कि जिला कलक्टर द्वारा कोई जांच नहीं की गई तथा भूमि अनाधिवासित नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच के बाद उक्त आवंटन आदेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ जारी किया गया है तथा अपीलाण्ट स्वयं के द्वारा पेशशुदा दस्तावेजात के अनुसार विवादित आराजी नं. 83 पर वह अतिक्रमी के रूप में वर्ष 2016–17, 2011–12 आदि वर्षों में दर्ज रहा है, अर्थात् वह इस भूमि पर बवक्त आवंटन काबिज रहा हो एवं उसके पक्ष में कोई आवंटन पात्रता हो एवं आवंटन/नियमन अनुशंषित हो, ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं है एवं अतिक्रमी का कोई **Locus Standi** भी राजकीय भूमि पर नहीं होता एवं तद्नुसार इस आधार पर भी अपीलाण्ट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि के आवंटन के सन्दर्भ में अपीलाण्ट किसी भी तथ्यात्मक एवं विधिक आधार पर आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाया जाता है एवं तद्नुसार उसका दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है एवं तद्नुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर